

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक -- प0नि0वि0/06—योजना-48/2015 - ३२३८(५) दिनांक - ०१/०७/१९

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

महालेखाकार (लै० एवं ह०),
झार खण्ड,
हिनू रांची।

विषय:- गिरिडीह—सारठ पथ पर मधुपुर स्टेशन के सभीप मधुपुर—जोड़ामाव स्टेशन के बीच कि०मी० 292.682 में RUB No.—618 के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य हेतु रु० 45,27,19,752/- (रूपये पैंतालीस करोड़ सताईस लाख उन्नीस हजार सात सौ बावन) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि रु० 28,93,78,895/- (अठाईस करोड़ तिरानबे लाख अठहत्तर हजार आठ सौ पंचानबे रूपये) (भू—अर्जन सहित) के वहन की स्वीकृति एवं उक्त राशि (भू—अर्जन की राशि को छोड़कर) की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने के स्वीकृति मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-

उपर्युक्त कार्य के लिए रु० 45,27,19,752/- (रूपये पैंतालीस करोड़ सताईस लाख उन्नीस हजार सात सौ बावन) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि रु० 28,93,78,895/- (अठाईस करोड़ तिरानबे लाख अठहत्तर हजार आठ सौ पंचानबे रूपये) (भू—अर्जन सहित) के वहन की स्वीकृति एवं उक्त राशि (भू—अर्जन की राशि को छोड़कर) की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने के स्वीकृति मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस कार्य का मूल प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक—6339(६) दिनांक 8.09.15 द्वारा रु० 33,79,79,846/- (तैतीस करोड़ उनासी लाख उनासी हजार आठ सौ छियालीस रूपये) में राज्यांश की राशि रु० 17,46,38,989/- (सतरह करोड़ छियालीस लाख अड़तीस हजार नौ सौ नवासी रूपये) हेतु प्रदत्त है।

3. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष— “मुख्य शीर्ष—5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—03—राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष—101—सेतु, उप शीर्ष—03—पुल, विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण—45—निर्माण कार्य” के अन्तर्गत उपलब्ध बजटीय सीमा के अधीन विकलनीय होगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, देवघर होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, देवघर से की जायेगी। झारखण्ड राज्य का राज्यांश की अग्रिम निकासी कर राशि को रेलवे मंत्रालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. इस कार्य को निम्न संशोधित वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगा:-

वित्तीय वर्ष वित्तीय लक्ष्य

2018—19 तक व्यय

रु० 1190.28153 लाख

2019—20

रु० 1703.50742 लाख

6. मुख्य अभियंता (या०), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति के समीक्षा प्रतिमाह नियन्त्रित रूप से करेंगे।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
8. प्रस्ताव पर मत्रिपरिषद को स्वीकृति प्राप्त है।

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— प०नि०वि०/०६—योजना—४८/२०१५ — ३२३८ (१) दिनांक—०१/०७/१९

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (याता०) पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, दुमका/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— प०नि०वि०/०६—योजना—४८/२०१५ — ३२३८ (१) दिनांक—०१/०७/१९

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/सदर्य इंजीनियरिंग—सह—सचिव, रेल मंत्रालय, रेल भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली /प्रधान सचिव, योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/आयुक्त, संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका/ महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता/मुख्य अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व रेलवे, गार्डन रीच, कोलकाता/ अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, देवघर/विशेष पदाधिकारी (या०) पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची /संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची /उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—६, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—१२, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— प0नि0वि0/06—योजना-48/2015 – ३२३८(१) दिनांक— ०१/०७/१९

प्रतिलिपि :— प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,

झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— प0नि0वि0/06—योजना-48/2015 – ३२३८(१) दिनांक— ०१/०७/१९

प्रतिलिपि :— प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई-मेल (E-mail) से भेजने एवं ई-प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वेबसाइट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।